संख्या- 05 / 2017 / 2455/65-2-2016-66(बजट) / 2005

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग जन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 मे अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक-4235-02-101-आयोजनागत-12-संकेत मूकबधिर जूनियर हाईस्कूल, मोहान रोड, लखनऊ का इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम सेा वित्तीय स्वीकृति। (तृतीय किस्त)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4142 / वि0क0 / 2016-17 दिनांक 19-11-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संकेत मूकबधिर जूनियर हाईस्कूल, मोहान रोड, लखनऊ का इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रू0 641.04 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 623.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष अन्तर की रू0 223;00 लाख (रूपये दो करोड तेईस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।

(3) प्रायोजन प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों के कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था [redacted]गा।

[redacted]मुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 / बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या-79 / 2015 / 1435 / 65-2-2015-66(बजट) / 2005 दिनांक 30-07-2015 तथा शासनादेश संख्या-44 / 2016 / 951 / 65-2-2016-66(बजट) / 2005 दिनांक 25-04-2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथ कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-आयोजनागत-12- संकेत मूकबधिर जूनियर हाई स्कूल, मोहान रोड, लखनऊ का इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-आर0ई0/355/दस-2017 दिनांक 10 जनवरी 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-05/2017/2455(1)/65-2-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम (निर्माण) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट , लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, (पैकफेड), 03/452, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।